



गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय
(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)
CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

F.No. 55-45/2019-A&A/1017

दिनांक: 02/02/2023

अधिसूचना संख्या. 53/AA-2022-23

विषय: समझौता ज्ञापन प्रस्तावों के अवलोकन हेतु समिति का गठन।

संदर्भ: माननीय कुलपति द्वारा दिनांक 01/02/2023 को अनुमोदित।

प्रशासन को प्रायः विभिन्न केन्द्रों और संस्थानों से समझौता ज्ञापन (MoU) करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं। एक वैध दस्तावेज़ होने के कारण समझौता ज्ञापन के नियमों और शर्तों पर सावधानीपूर्वक विचार करने और विधि विशेषज्ञ द्वारा जाँच किए जाने की आवश्यकता होती है।

इस संबंध में, अब से प्राप्त ऐसे सभी समझौता ज्ञापन प्रस्तावों के अवलोकन हेतु माननीय कुलपति द्वारा निम्नलिखित समिति गठित की गई है:

1.	प्रो. संजय कुमार झा, अधिष्ठाता, राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन संस्थान और वित्त अधिकारी (कार्यवाहक)	अध्यक्ष
2.	प्रो. एच. बी. पटेल, अधिष्ठाता, शिक्षा संस्थान और कुलसचिव (कार्यवाहक)	सदस्य
3.	प्रो. भावना पाठक, पर्यावरण और सतत विकास संस्थान	सदस्य
4.	डॉ. हेमांग देसाई, उप-कुलसचिव (अकादमिक)	सदस्य सचिव

यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी की गई है।

कुलसचिव (प्रभारी)

प्रति (ई-मेल द्वारा):

1. सभी संबद्ध सदस्य
2. सभी अधिष्ठाता/अध्यक्ष/समन्वयक
3. सभी शैक्षणिक संकाय



सेक्टर-29, गांधीनगर-382030, फोन नं - 07923977407, फेक्स-07923260076
Sector-29, Gandhinagar, Phone No. 07923977407, Fax-07923260076

Email: registrar@cug.ac.in, website: www.cug.ac.in





गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय
(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)
CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

4. निदेशक, आंतरिक गुणवत्ता निर्धारक प्रकोष्ठ
5. उप-कुलसचिव (अकादमिक एवं प्रशासनिक)
6. सहायक कुलसचिव (अकादमिक, प्रशासनिक एवं वित्त)
7. आईसीटी विभाग- (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ)
8. कुलपति सचिवालय
9. अधिसूचना फाइल
10. गार्ड फाइल

